

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3067

20 दिसम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

इस्पात के आयात पर गुणवत्ता मानक

3067. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह:

श्री ए. इलावरासन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने काफी मात्रा में इस्पात एवं इस्पात उत्पादों के आयात पर अनिवार्य रूप से गुणवत्ता मानक अधिरोपित कर दिए हैं;
- (ख) क्या इन मानकों के अधिरोपण से तत्काल प्रभाव से देश में इस्पात एवं इस्पात उत्पादों के सभी प्रकार के आयात के बंद हो जाने की संभावना है तथा इसके कारण काफी संख्या में छोटी इकाइयां बंद हो जाएंगी;
- (ग) यदि हां, तो ऐसे कदम के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या आयातों पर प्रतिबंध से देश में इस्पात की कीमतें बढ़ जाएंगी तथा घरेलू इस्पात उत्पादकों को प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रूपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ होगा; और
- (ड.) यदि हां, तो लघु उद्योग की इकाइयों (एसएसआई) में कार्यरत कामगारों की कीमत पर बड़े इस्पात उत्पादकों पर कृपादृष्टि रखे जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): सरकार ने इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012 के अंतर्गत 16 ऐसे इस्पात उत्पादों को अधिसूचित किया है जिनका उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और जो अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस आदेश को आयात और घरेलू उत्पादन दोनों के लिए समान रूप से लागू किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। इस आदेश के कार्यान्वयन से देश में इस्पात के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता और इसका उद्देश्य लघु क्षेत्र की इकाइयों को बंद करने का भी नहीं है। इस आदेश में केवल यह निर्धारित किया गया है कि देश में उत्पादित अथवा आयातित इस्पात उत्पाद मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इन इकाइयों को बीआईएस लाइसेंस/पंजीकरण शीघ्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है ताकि वे बिना किसी अवरोध कि प्रचालन कार्य कर सकें। इनमें से कई इकाइयों ने पहले ही बीआईएस लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा शेष इकाइयों का बीआईएस के साथ पंजीकरण सरल करने के लिए सरकार ने कुछ उत्पादों पर इस आदेश के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.) चूंकि, यह आदेश बड़े और छोटे दोनों उत्पादकों पर समान रूप से लागू होता है इसलिए लघु क्षेत्र की इकाइयों की तुलना में यह आदेश बड़े उत्पादकों का पक्ष नहीं लेता। इसके अतिरिक्त इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और कीमतों का निर्धारण मौजूदा बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है।
